तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री सुरेश कुमार सोनी, 72, उदयपुरिया बाजार, पाली व 52, नेहरू नगर, पाली (राज.) **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 14/2024 जीसीएमएस नं. :– 2024/16 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

–: निर्णय :–

28.02.2024

1. पत्रावली आज पेश हुई ।
2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 31.07.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।
3. अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वांछित सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, पाली ने जरिये पत्रांक/लो. सू.अ./2024/91 दिनांक 08.02.2024 इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित सूचना से संबंधित मूल पत्रावली इस कार्यालय के पत्रांक / कोर्ट / मर्ग / 2023/59–60 दिनांक 23.01.2023 द्वारा उप अधीक्षक पुलिस, वृत्त पाली शहर को भिजवाई जा चुकी है जिसकी सूचना अपीलार्थी को पत्रांक 378 दिनांक 11.08.2023 के द्वारा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली द्वारा अपीलार्थी को यह अवगत करवा दिया गया है कि वांछित सूचना उप अधीक्षक पुलिस, वृत्त पाली से संबंधित है व मूल पत्रावली भी कार्यालय उप अधीक्षक, वृत्त पाली शहर को भिजवाई जा चुकी है। इस संबंध में अपीलार्थी संबंधित लोक सूचना अधिकारी के पास नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकता है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारिज की जाती है।
6. निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एल.एन. मंत्री)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली